कार्यकारी निदेशक और प्रथम अपीलीय प्राधिकारी भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

दूसरी मंजित, जीवन विहार बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली – ११० ००१ दिनांक: 4 मई, २०२३

श्री हंसराज अग्रवाल......

अपीलार्थी

बनाम

केंद्रीय जन सूचना अधिकारी 'भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड दूसरी मंजिल, जीवन विहार बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

प्रतिवादी

आदेश

यह अपील श्री हंसराज अग्रवाल के द्वारा भेजे गए सूचना के अधिकार (आर.टी.आई) के तहत आवेदन से है। श्री हंसराज अग्रवाल ने पत्र संख्या RN-RUSS7887476IN दिनांक 10 जनवरी 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक को जानकारी के लिये भेजी थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने 7 फरवरी 2023 को एप्लीकेशन केंद्रीय जन सूचना अधिकारी भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड भेजी थी।

- 2. अपीलार्थी ने आर.टी.आई में यह सूचना मांगी थी -
- "a. यह कि ABLAZE INFO SOLIUTIONS PVT.LTD. जिसका खाता संख्या 0038619000027 IFSC CODE YESB0000038 कम्पनी के खाते में निवेशों की धनराशि जमा है तो किस कारण से निवेशकों को उनके द्वारा जमा की धनराशि वापस क्यों नहीं की जा रही।
- b. यह है कि निवेशको ने बैंक ड्राफ्ट व आर॰टी॰जी॰एस॰ द्वारा भारत सरकार को 15 प्रतिशत टैक्स सहित ABLAZE INFO SOLIUTIONS PVT.LTD कम्पनी के खाते मे पूँजी जमा करायी हैं तो किस कारण से निवेशको के द्वारा जमा की गई पूँजी उनको वापस भुगतान नहीं की जा रही है ।
- ः. यह कि निवेशको ने भारत सरकार व सेबी एवं R.B.I द्वारा गेटवे की स्वीकृति देखकर ही निवेश किया। फिर किस कारण से निवेशको को ABLAZE INFO SOLIUTIONS PVT.LTD कम्पनी मे जमा निवेश की गई पूँजी को भुगतान नहीं किया जा रहा है।
- d. यह हिंक ABLAZE INFO SOLIUTIONS PVT.LTD कम्पनी फरवरी 2017 से 2022 तक 5 वर्ष बीतने के पश्चात भी निवेशको का धन ठगकर चैन की बंशी बजाकर सो रही है तथा भारत सरकार उसका पहरा दे रही है उसके कारणो से अवगत करायें।"
- 3. प्रतिवादी ने उत्तर में यह जवाब दिया था -
- "मांगी गई जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2 (च) के तहत परिभाषित "सूचना" के अंतर्गत नहीं आती है।"

- 4. मैंने सावधानीपूर्वक आवेदन और अपील की प्रतिक्रिया की जांच की है और पाया है कि मामले का निर्णय रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर किया जा सकता है। प्रतिवादी से ऐसी जानकारी प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है जो उपलब्ध है। उससे जानकारी बनाने की उम्मीद नहीं की जाती है। इस अधिनियम के तहत सूचना का अधिकार का मतलब है, ऐसी जानकारी जो प्रतिवादी द्वारा या उसके नियंत्रण में हो। वह मांगी गई जानकारी रखने के लिए बाध्य नहीं है।
- 5. आरटीआई अधिनियम की धारा 2(च) के संदर्भ में 'सूचना' का अर्थ है किसी भी रूप में कोई भी सामग्री, जिसमें रिकॉर्ड, दस्तावेज, मेमो, ई-मेल, राय, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, अनुबंध, रिपोर्ट शामिल हैं। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए कागजात, नमूने, मॉडल, डेटा सामग्री और किसी भी निजी निकाय से संबंधित जानकारी जिसे किसी अन्य कानून के तहत किसी सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा उस समय लागू किया जा सकता है। आरटीआई अधिनियम की धारा 2(ञ) अधिनियम के तहत सुलभ सूचना के संदर्भ में 'सूचना का अधिकार' को परिभाषित करती है जो एक सार्वजनिक प्राधिकरण के पास है या उसके नियंत्रण में है।
- 6. उपर्युक्त परिभाषाएं अपीलकर्ता द्वारा मांगी गई शिकायतों के निवारण पर विचार नहीं करती हैं। केंद्रीय जन सूचना अधिकारी अपीलकर्ता की शिकायतों का निवारण नहीं कर सकता है ।
- 7. तदनुसार, प्रतिवादी के निर्णय के साथ किसी और हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार अपील का निपटान किया जाता है।

(हस्ताक्षर /-)

(संतोष कुमार शुक्ल)

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी

कॉपी:

- 1. अपीलकर्ता, हंसराज अग्रवाल.
- 2. केंद्रीय जन सूचना अधिकारी, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, दूसरी मंजिल, जीवन विहार बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110 001